



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

प्रभावी पैरवी कर अपहरण कर हत्या करने वाले 03 अभियुक्त को आजीवन कारावास व 69,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 267/16 धारा- 363,366,302/34,201,376D भा0द0सं0 व 06 पाक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय पाक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.गौरव पुत्र रंगबाज उर्फ रामनाथ 2.अजीत उर्फ कुग्गी पुत्र रामप्रकाश 3.सन्दीप पुत्र सुखराम निवासीगण हरचन्द्रपुर थाना कदौरा, जनपद जालौन को दोषसिद्ध करते हुए धारा-363,366,302/34,201 भा0द0सं0 में आजीवन कारावास व 69,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक एडीजीसी
रुद्रप्रताप सिंह



विवेचक-
उ0नि0 चंचल कुमार
यादव



पैरोकार- थाना
कोतवाली नगर
का0 मनोज सिकरवार